03BB 187931

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 22,04,895/ रूपये ।
स्टाम्प पेपर अंकन : 2,20,500/ रूपये ।

मैं/हम कि प्रहलाद पुत्र श्री चन्दु निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, (फरीक अव्वल/विकेता /विकेतागण) ।

एवम

श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (फरीक दोयम/केता) ।

प्रहलाद

ब्रिजेश कुमार

Tejendra Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD

Tejendra Singh
Ch. No-297, Civil
GHAZIABAD

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

2 8 JUL 2006

स्टाम्प नं० ...... सामिल किया गया
उप. रोकड़िया

2,204,8957= 5006=

लेखपत्र ...... फीस रजि. 20=
रुपया ...... 5020= शब्द 600
श्री ......
पुत्र श्री ...... पेशा ......
निवासी ......
ने कार्यालय उप निबंधक दादरी जिला
गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 20/7/06
समय 4 व 5 बजे प्रस्तुत किया।

20/7/06

लेखपत्र का सम्पादन एवं इसमें लिखे
जरे बदल मु० 22048957 ......
जिसमें से
नकद मेरे समक्ष पाकर उक्त ने ......

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187932

<u>विक्रीत भूमि का विवरण</u>

स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 137 के खसरा नं0 23 रकबई 0.7970 हैक्टेयर का 2/3 भाग अर्थात रकब्ई 0.5313 हैक्टेयर ।

1. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/–रूपया प्रति हैक्टेयर लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/–रूपया प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 22,04,895/– रूपये (बाईस लाख चार हजार आठ सौ पिचानवें रूपए मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

प्रह्लाद

कार्यालय उप-कोषागार
दादरी

28 JUL 2006

स्टाम्प नं० 27 रू० 1500
खाता नं० 21 में शामिल किया गया
उप. कोषाधिकारी

20/7/06

[illegible]

सत्यमेव जयते
तहसीलदार दादरी

28/7/06

03BB 187933

(3)

2. विक्रेता अनुसूचित जाति का है। विक्रेता ने इस आशय क श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है ।

3. यह कि विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विक्रेता (फरीक अव्वल) संक्रमणीय भूमिधर हो चुका है । इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नही हैं ।

कार्यालय उप निबन्धक
दादरी

2 8 ... 2005

स्टाम्प नं० 29 रू० 15 ...
स्टाम्प सं० 26 दाखिल किया गया
उप निबन्धक

उप निबन्धक दादरी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187934

(4)

4. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

प्रह्लाद

विपिन कुमार

कार्यालय उप कोषागार

दादरी

28 JUL 2006

स्टाम्प सं0 29 रु0 15000 मात्र

स्टाम्प सं0 26 में शामिल किया गया

उप. कोषाधिकारी

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187935

(5)

5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है । तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222713 दिनांकित 15.10.2005 अंकन 1,89,000/—रूपये (एक लाख नवासी हजार रूपए मात्र) तथा नगद 37,800/—रूपये (सैंतीस हजार आठ सौ रूपए मात्र) दिनाक 15.10.2005 प्राप्त कर लिये थे ।

प्रहलाद

किशोर कुमार

कार्यालय उप कोषागार
बावरी

23 JUL

सत्यमेव जयते

१५०००रु. भारतीय गैर न्यायिक १५०००रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187936

(6)

6. विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ /हम फरीक अव्वल (विकेता/विकेतागण) की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विक्रय, वसीयत

प्रह्लाद

किशोर कुमार

कार्यालय उप पंजीयक
बावरी
28
दस्तावेज नं. 31 बही 1 में
रजिस्टर नं. 25 में शामिल किया गया
उप. पंजीयक

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187937

आदि दोषों से मुक्त है कही अन्य जगह आड, रहन बय, हिबै महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ग्रस्त नही है और न हीं इस बाबत कोई मामला किसी न्यायालय/कार्यालयों में विचाराधीन है ।

प्रहलाद

किशोर कुमार

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

दिनांक 22-6-17 को
वाउचर नं. 26 में शामिल किया गया
उप. कोषाधिकारी

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

03BB 187938

(8)

7. मुझ/हम विक्रेता/विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 137 के खसरा नं0 23 रकबई 0.7970 का 2/3 भाग अर्थात रकबई 0.5313 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की

प्रह्लाद

कार्यालय उप ...
... डबवाली ...
स्टाम्प नं० 33 रु० 10 आदि ....
स्टाम्प नं० 6 में शामिल किया गया
उप. रजिस्ट्रार

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187939

(9)

काश्त एवं अन्य निजि आवश्यकताओं हेतु रूपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत केता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, काबिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विकेता को विकीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विकय

स्टाम्प नं. 34 क्र. 57 नाम

स्टाम्प नं. 268 शामिल किया गया

उप. रीकॉड्या

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187940

धनराशि अंकन रूपया अंकन 22,04,895 रूपये (बाईस लाख चार हजार आठ सौ पिचानवें रूपए मात्र) जिसके आधे अंकन 11,02,447.50/– (ग्यारह लाख दो हजार चार सौ सैतालीस रूपए पचास पैसे मात्र) होते है, एवज में हाथ फरीक दोयम केता उपरोक्त श्री ब्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर को बय कर दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि में से अब शेष रकम अंकन 19,78,095/– (उन्नीस लाख अठहत्तर हजार पिचानवें रूपये मात्र) बजरिये चैक नम्बर 011312 दिनांकित 28.07.2006 का पँजाब नैशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुझ विकेता ने केता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नही रहते है ।

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187941

8. विक्रीत भूमि का कब्जा मौके पर केता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके केता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में लाये ।

प्रहलाद

किशनलाल

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187942

9. विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराकर बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

28 JUL 2005

रजिस्टर नं० 37 क्र० 15 नाम........
दराज नं० 22 में शामिल किया गया
उप. कोषाध्यक्ष

03BB 187943

हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नही होगा और न ही है । अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा ।

कार्यालय उप निबंधक

बावरी

पृष्ठ सं. 78 से 157 तक

बस्ता नं. 26 में शामिल किया गया

उप. निबंधक

सत्यमेव जयते

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 187944

10 विकीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल / विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार केता या स्थापनापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा उसका कोई अंश केता या उसके वारिसान या स्थानापन्न के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

प्रह्लाद

किशोर कुमार

अंकित किया गया

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 611299

11. यह कि फरीक अव्वल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदि) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हे क्रेता को सौंप देगा.

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया हैं।

कार्यालय सब रजिस्ट्रार
दादरी
27 [illegible]
बही नं. 1 पृ. 10 जिल्द [illegible]
क्रमांक नं. [illegible] दाखिल किया गया
उप. रजिस्ट्रार

500Rs.

13. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढकर गवाहो की उपस्थिति में लिख दिया गया हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ता...
फरीक...

गवाह नं0 1

श्री—— पुत्र श्री——
निवासी ग्राम—— परगना——
तहसील—— दादरी
जिला—— गौतमबुद्धनगर

गवाह नं0 2

श्री—— पुत्र श्री——
निवासी ग्राम—— परगना——
तहसील—— दादरी
जिला—— गौतमबुद्धनगर

तहरीर दिनांक 28.07.2006 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

Tejendra Singh
Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD. (U.P.)

कार्यालय उप [illegible]

दादरी

28 [illegible]

[illegible] बही नं. 1 ... क्रम [illegible]
[illegible] नं. 26 में शामिल किया गया
उप. [illegible]

आज दिनांक 28/7/06 को फोटो [illegible]
[illegible] बही संख्या I जिल्द संख्या 161
के पृष्ठ 265 पर क्रमांक 10950
पर [illegible] 396 [illegible]

उप निबंधक
दादरी

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

PNB

कासना

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 137 खसरा नं० 23 रकबा 0.3510 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै० उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

पहलाद S/o चन्दू

निवासी दुरियाई

इन्तखाब खतौनी .... ग्राम [illegible] परगना .... तहसील दादरी .... जिला गौतमबुद्धनगर .... बाबत साल 1409-1422 ....

खसरा संख्या	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	खतौनी खाता संख्या	खतौनी खाते के वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के (भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो	सिंचाई का साधन	कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल — खरीफ: फसल का नाम	खरीफ: सींचा हुआ	खरीफ: अन सींचा	रबी: फसल का नाम	रबी: सींचा हुआ	रबी: अन सींचा	जायद: फसल का नाम	जायद: सींचा हुआ	जायद: अन सींचा	सींचा हुआ	अन सींचा	जिनमें खसरे के खाने के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा: भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल	प्रत्येक पेड़ के पूरे या टूटे पेड़ों की संख्या और किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
७३	०.६२६	९३८	प्रहलाद, अमित	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

निरीक्षण ... इन्द्राज किया

Amit Kumar
6/1/06

अमित कुमार
(लेखपाल)
क्षेत्र - [illegible] वारसाबाद
तहसील - दादरी

प्रमाण पत्र संख्या
0017102011508715 99

1937

जाति प्रमाण पत्र

(उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलाद पुत्र श्री चन्दू निवासी गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 राज्य की जाटव जाति के व्यक्ति हैं। जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई0 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन–जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री प्रहलाद तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव/नगर दुरयाई तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र राजस्व निरीक्षक, बिसरख की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान दादरी

दिनांक 07-04-2006

कार्यालय की मुहर सहित

तहसीलदार
दादरी

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020115087 ग्राम का नाम : दुरयाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

04/09

46/81

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौलिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।									
00137	प्रहलाद भागीरथ	चन्दू भिखारी	नि. ग्राम नि. ग्राम	1395फ	23	0.7970		आदेशानुसार श्रीमान तह. न्यायिक वि.न.94 1/7 9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 137 के ख.न. 23/0.7970 हे. का 2/3 भाग 0.5313 हे. से विक्रेता प्रहलाद पुत्र श्री चन्दू नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता विजेन्द्र कुमार पुत्र [illegible] नि.ग्राम का नाम बतौर [illegible] दर्ज हो। र.स.र.का. 28-5-2007	
				कुल गाटे : 1		कुल क्षे. : 0.7970	19.45		

11.6.07

(VS Yadav)
11/6/07

हस्ताक्षर

08-06-07